कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक– / प्र0श्रे0लि0–4 / 5585-94 / 2018–19 दिनांक 19.5.18

प्रबन्धक,

दि चिन्टल्स स्कूल
सिंह पुर रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं0– 419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08–05–2013 मे निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध मे जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक मे मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनॉक 16–05–2018 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं **दि चिन्टल्स स्कूल सिंह पुर रोड, कल्यानपुर, कानपुर नगर** को 2018–19 से तीन शैक्षिक सत्र हेतु **प्री से कक्षा 8 तक** के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3–विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4–पैरा– 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिगं प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा, और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

- I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
- II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।
- III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
- V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियन की धारा–23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार है–

क्र0सं0	विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	18946 वर्ग मी0
2	कुल निर्मित क्षेत्र	1432 वर्ग मी0
3	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	–
4	[illegible]	14
5	[illegible] कार्यालय [illegible] भण्डारगार के लिये कक्ष	2
6	बालक बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2, 2
7	पेय जल सुविधा	[illegible] उपलब्ध है।
8	[illegible]	[illegible] है।
9	अध्यापक [illegible] सामग्री / [illegible] उपस्करों / पुस्तकालय [illegible]	[illegible]

Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Orai Distt-Jalaun

For Chintels SCHOOL-KALYANPUR

ADARSH VIDYA MANDIR

Smita Chauhan
PRINCIPAL

Manager
The Chintels School
Kalyanpur

PRINCIPAL